इंक्यूबेशन सेंटर बनाने को डेढ़ करोड़

एकेटीयू

लखनऊ, संवाददाता। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान अपने परिसर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करते हैं तो उन्हें डेढ़ करोड़ तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इस संबंध में कुलसचिव ने 67 संस्थानों के लिए सर्कुलर जारी किया है।

एकेटीयू अपने संबद्ध संस्थानों व कॉलेजों को सेक्शन 8 कंपनी व इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार कर रहा है। जिससे इनोवेशन व स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। मंगलवार को भी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कुलसचिव रीना सिंह की ओर से

सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि सभी संस्थान प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति-2020 के तहत सेक्शन 8 कंपनी और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करें। जिससे संस्थान स्टार्टअप नीति के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकेंगे।

इसके लिए 16 जनवरी को एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें जुडने के लिए गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया है। इसके जरिए सभी संस्थान कार्यशाला से जुड़ सकते हैं।

इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना का मानक

- इंक्यूबेशन सेंटर का सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकरण।
- शिक्षण संस्थानों के लिए 10 हजार वर्ग फीट का स्थान।
- एक इंक्यूबेशन मैनेजर व दो सपोर्टिंग स्टॉफ।
- प्रति सीट कम से कम 100 वर्ग फीट का को-वर्किंग स्पेस।

बुंदेलखंड और पूर्वांचल को 1.25 करोड़ मिलेंगे

स्टार्टअप नीति-2020 में प्रावधान है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स को कैपिटल ग्रांट के रूप में एक करोड़ दिया जाएगा। राशि बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र के लिए 1.25 करोड़ है।